

# कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

क्रं./6-वि0/यो0/2020/

3254

रीवा, दिनांक 14/9/2020

## विज्ञप्ति

म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55, दिनांक 12.01.2018 द्वारा प्रभावशील मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में रिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) पद की पूर्ति की जाना है। इस हेतु पात्र एवं इच्छुक चिकित्सको के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2020 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक म0प्र0 शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1987 के भर्ती नियम के तहत नियुक्त किया गया हो। आवेदन हेतु केवल म0प्र0 शासन में स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक ही पात्र होंगे।

अधिष्ठाता पद हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ एम.सी.आई. मापदण्ड अनुसार रहेंगी। आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाईट [www.ssmcrewa.com](http://www.ssmcrewa.com) पर उपलब्ध है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन आयुक्त रीवा संभाग रीवा को संबोधित करते हुए स्थान, कमिश्नर कार्यालय, रीवा संभाग, कोठी कम्पाउण्ड, रीवा(म.प्र.) पिन कोड 486001 में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा जमा कराये/भेजे जा सकते हैं।

साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि की सूचना पृथक से चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी।

(राजेश कुमार जैन)

कमिश्नर रीवा संभाग

एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय.रीवा

## अन्य जानकारी

पदनाम	—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता)
वेतनमान	—	37400-67000 + ग्रेड-पे 10000 + शासन द्वारा समय-समय पर देय भत्ते। ( 7 वें वेतनमान का लेवल 14)
रिक्त पदों की संख्या	—	01(एक)
आयु-सीमा	—	न्यूनतम 40 वर्ष

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

3. अर्हताये :-

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।

पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताए
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता)	<p><b>आवश्यक योग्यतायें:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>किसी मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधिधारक के साथ अन्य शैक्षणिक योग्यता तथा किसी शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/रीडर के पद पर 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव जिसमें प्राध्यापक के पद पर कम से कम 05 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव होना आवश्यक है।</li></ul> <p><b>अन्य योग्यतायें:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव के रूप में राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय कॉन्फ़ेस/सेमीनार का आयोजन।</li><li>चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो।</li><li>प्रशासकीय कार्य का अनुभव।</li></ul>

- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को म.प्र. शासन के द्वारा प्रायवेट हॉस्पिटल/नर्सिंग होम में प्रायवेट प्रेक्टिस के संबंध में जारी आदेश/परिपत्र का पालन किये जाने के आशय का एक स्वप्रमाणित वचन-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा इस वचन पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि उनके द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की लिखित पूर्वानुमति के किसी नर्सिंग होम/प्रायवेट हॉस्पिटल में विजिट नही दी गई है।

4. नियुक्ति की अवधि-

चयनित अभ्यर्थी को 05 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता पद पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जायेगा।

5. सेवा शर्तें-

- 5.1 चयन की दशा में नियुक्ति की अवधि में आवेदक को स्वशासी निकाय की सेवा शर्तें मान्य होगी।
- 5.2 अधिष्ठाता के पद पर चयन उपरांत चयनित उम्मीदवार को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर निजी प्रेक्टिस या परामर्श सेवायें देने की अनुमति नहीं होगी

## 6. निरर्हतायें-

- 6.1 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 6.2 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 6.3 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।  
कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। किन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पूर्व से ही जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।
- 6.4 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो एवं कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 6.5 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
7. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-, आयुक्त रीवा संभाग रीवा को संबोधित करते हुए स्थान, कमिश्नर कार्यालय, रीवा संभाग, कोठी कम्पाउण्ड, रीवा(म.प्र.) पिन कोड 486001 आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2020 तक सांय 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा जमा कराये/ भेजे जा सकते हैं। निर्धारित समयवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं निर्धारित आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट **www.ssmcrewa.com** पर उपलब्ध है।
10. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो-दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित स्वयं का घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

आयुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति  
स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

## आवेदन का प्रारूप

अधिष्ठाता (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के पद हेतु

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष / महिला.....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर .....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....  
अ. (एम.बी.बी.एस.)-  
ब. एमडी / एमएस-  
स. एमसीएच / डीएम-
10. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक		
2	सह प्राध्यापक		
3	सहायक प्राध्यापक		
4	ट्यूटर / प्रदर्शक		

11. प्रशासकीय अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	प्रशासकीय अनुभव
1	अधिष्ठाता		
2	अस्पताल अधीक्षक		
3	विभागाध्यक्ष / यूनिट इन्चार्ज		
4	लीगल / स्थापना प्रभारी		

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)

1. एम.बी.बी.एस. डिग्री
2. एमडी / एमएस / एमसीएच / डीएम डिग्री
3. प्रयास प्रमाण पत्र (Attempt Certificate)
4. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एमबीबीएस)
5. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एमडी / एमएस)
6. आधार कार्ड
7. अधिष्ठाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रायवेट अस्पताल में प्रेक्टिस / विजिटिंग न करने संबंधी स्वघोषणा पत्र ।
8. प्रभारी अधिष्ठाता / अस्पताल अधीक्षक / विभागाध्यक्ष / यूनिट इन्चार्ज के पद पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ।
9. प्रेसीडेंट / आयोजन सचिव के रूप में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फेस / सेमीनार का आयोजन ।
10. कॉलेज में लीगल सेक्शन एवं स्थापना प्रभारी के कार्य का अनुभव ।
11. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो ।
12. अन्य योग्यताएं संबंधी प्रमाण-पत्र ।

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ आई आर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच अथवा ई.ओ.डब्ल्यू. जांच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर पूर्ण रूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर